

मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 06.11.2022

मीरजापुर पुलिस द्वारा 156 किग्रा प्रतिबंधित मांस बरामद , 05 अभियुक्त गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिए गये हैं ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 06.11.2022 को थाना को0देहात पुलिस बल द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना को0देहात क्षेत्र से 05 नफर अभियुक्तों 1-शमशाद खान , 2-शहनवाज , 3-नोमान , 4-साहेब जमा , 5-मुर्करम को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से पांच बोरी में रखी कुल 156 किग्रा प्रतिबंधित मांस सहित काटने में प्रयुक्त औजारों को बरामद किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0-250/2022 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

- 1-शमशाद खान पुत्र अलाउद्दीन निवासी चितावनपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर , उम्र करीब-50 वर्ष ।
- 2-शहनवाज पुत्र सलाउद्दीन निवासी चितावनपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर , उम्र करीब-20 वर्ष ।
- 3-नोमान खान पुत्र शमशाद निवासी चितावनपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर , उम्र करीब-22 वर्ष ।
- 4-साहेब जमा पुत्र हसीमुद्दीन निवासी चितावनपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर , उम्र करीब-42 वर्ष ।
- 5-मुर्करम पुत्र शमशाद खान निवासी चितावनपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर , उम्र करीब-20 वर्ष ।

बरामदगी विवरण —

- 1- 05 बोरी में रखा प्रतिबंधित मांस मात्रा कुल 156 किग्रा ।
- 2- 11 अदद औजार व 03 अदद लकड़ी का गुटका ।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-250/2022 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना को0देहात , मीरजापुर । गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उ0नि0 जितेन्द्र सरोज चौ0प्र0करनपुर थाना को0देहात , मीरजापुर मय पुलिस टीम ।